

137

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर, बैच उज्जैन (म.प्र.)

प्र. क्रं. / / 2014-15 निगरानी

श्री प्रो. जगदीश  
24.2.15  
24.2.15

1. नाथु फौत वारिस गट्टुबाई बेवा नाथु कुम्हार, आयु-55 वर्ष,
2. राधेश्याम पिता नाथुजी कुम्हार, आयु- 35 वर्ष
3. श्यामलाल पिता नाथुजी कुम्हार, आयु- 32 वर्ष
4. रामगोपाल पिता नाथुजी कुम्हार, आयु- 29 वर्ष
5. लक्ष्मण पिता भेरूजी कुम्हार, आयु- 50 वर्ष
6. नन्दा पिता हरीराम कुम्हार, आयु - 55 वर्ष
7. सत्यनारायण पिता हरीराम कुम्हार, आयु- 50 वर्ष
8. प्रभुलाल पिता हरीराम कुम्हार, आयु- 45 वर्ष
9. मोहनबाई बेवा हरीराम कुम्हार, आयु- 70 वर्ष

निवासीगण- साताखेडी, तह. सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.)

..... याचिकाकर्तागण

1. उदा फौत वारिस-तुलसीराम पिता उदा जी  
जाति- कुम्हार, आयु- 50 वर्ष, धंधा- कृषि,  
निवासी- साताखेडी, तह. सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.)
2. जुझार पिता उदाजी कुम्हार, आयु- 45 वर्ष
3. गौपाल पिता उदाजी कुम्हार, आयु- 43 वर्ष
4. गोर्धन फौत वारिस-कानीराम पिता गोर्धन आयु - 32 वर्ष
5. कुशलबाई बेवा गोर्धन कुम्हार, आयु - 55 वर्ष
6. रामा पिता केशुराम कुम्हार, आयु- 70 वर्ष
7. किशन पिता केशुराम कुम्हार, आयु- 60 वर्ष,  
सभी का धंधा- कृषि, निवासीगण- साताखेडी, तह. सीतामऊ,  
जिला मंदसौर (म.प्र.)
8. शासन जय पटवारी मौजा, तह. सीतामऊ, जिला मंदसौर

..... प्रत्यर्थागण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स.

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ जिला मंदसौर द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 16/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है-


(29)

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-640-दो/15

जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विजय नारजी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	